न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 179 / 2024

वादपत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

ओमप्रकाश पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. दुलीचंद पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. बृजलाल पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. कृष्णलाल पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धिरागवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. गुडडी पत्नी राधा किशन पुत्री हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती सावित्री पुत्री हजारीराम पुत्र बलवंन्त सिंह निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. आत्माराम पुत्र स्व. श्रीमती सावित्री पुत्री हजारीराम पुत्र बलवंन्त सिंह निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
7. तारावन्ती पुत्री स्व. श्रीमती सावित्री पुत्री हजारीराम पुत्र बलवंन्त सिंह निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री रविन्द्र कुमार भोबिया –वकील वादी
2. श्री सुनील नैण–वकील प्रति.सं. 1ता7

निर्णय दिनांक :– 1-1-2026

वादी ओमप्रकाश ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 04.04.2025 को इस न्यायालय में पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वादी के पिता के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में 1.454 है. दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त समस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के संयुक्त हिन्दु परिवार की विरासतन् कृषि भूमि है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 संयुक्त हिन्दू परिवार के साथ ही पारिवारिक सौहार्द बनाये रखने एवं आपसी रजामन्दी से एवं भूमि एकीकरण के उददेश्य से वादी को वादपत्र की चरण सं. 2 में वर्णित तहसील संगरिया के चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में 1.454 में से 1/3 हिस्सा है. कृषि भूमि वादी के पक्ष में प्रतिवादी सं. 3 ता 7 ने बिना कोई प्रतिफल प्राप्त किये वादी के हक में परित्याग कर दिया है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी की विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। उक्त कृषि भूमि वादी को काफी अरसा पूर्व हक त्याग एवं घरू बंटवारा में प्राप्त हो चुकी है जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज है जिसमें प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है एवं इसी क्रम एवं इसी सम भाग की दर से कृषि भूमि प्राप्त कर ली है जिसमें किसी प्रकार का कोई वाद–विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 की उक्त

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

आराजी में आज तक कभी कोई कब्जा काश्त नही रही है इसलिए वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में 1.454 में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में 1.454 में से प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 का नाम विलोपित कर वादपत्र की चरण सं. 3 में वर्णितानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण से वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह इन्कार करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सींगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया, जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ता 7 ने जरिये अभिभाषक जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल हुआ। प्रतिवादी सं. 8 जवाब स्टेट पेश कर राज्यहित को मध्यनजर रखने की ईस्तदुआ की। साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित जमाबन्दी चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पेश हुई। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष में वादी अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि विरासतन है। वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादी ओर से जमाबन्दी चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी का विरोध नही किया। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी की पैतृक आराजी है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का काउण्टर क्लेम प्रस्तुत हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 7 का स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश हुआ है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त संबंधित अन्य कोई विवाद सामने नही आया है। वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज 1.454 है. कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. की दर से कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। वादी के पिता हजारीराम पुत्र केसराराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जाता है। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1-1-2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 179/2024

ओमप्रकाश पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. दुलीचंद पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. बृजलाल पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. कृष्णलाल पुत्र हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी धिरागवाला तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
4. गुडडी पत्नी राधा किशन पुत्री हजारीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हाथियावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. रामचन्द्र पुत्र स्व. श्रीमती सावित्री पुत्री हजारीराम पुत्र बलवंन्त सिंह निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
6. आत्माराम पुत्र स्व. श्रीमती सावित्री पुत्री हजारीराम पुत्र बलवंन्त सिंह निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
7. तारावन्ती पुत्री स्व. श्रीमती सावित्री पुत्री हजारीराम पुत्र बलवंन्त सिंह निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का जिला फाजिल्का (पंजाब)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए. दिनांक :– 1-1-2026

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रविन्द्र कुमार भोबिया मिन जामिन मुदई व श्री सुनील नैण वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि वाद वादी मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि चक नं. 11 पी.टी.पी. खाता सं. 102/10 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज 1.454 है. कृषि भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. की दर से कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। वादी के पिता हजारीराम पुत्र केसराराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड से कलमजन किया जाता है।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

निज...X...निल...X...मुब्लिक...X...निल...X...बाबत...X...निल...X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...X...को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1-1-2026 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया